


सदस्य सचिव,
एम्पार्ट कमर्शुली (प्रशासन शाहरों के साथ)
2021
मगरसालिका, श्रीमाधोपुर।

~~वित्तमाला विषय - दिनांक 15-11-2021 को दोपहर एक बजे
15/11/2021 आयोजित बैठक पाबत~~

595
15/11/2021

विषयान्तर्गत लेख है कि आप हारा आयोजित
की जाने काली एम्पार्ट कमर्शुली बैठक (प्रशासन शाहरों के
साथ 2021) दिनांक 15-11-2021 के अन्दर में लेख
है कि बैठक एजेंट निम्न ०१ स्पीड ब्रॉडबैट क्य करें
वाहते विचार के बिन्दु पर नरारपालिका श्रीमाधोपुर
की दिनांक 10-8-2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में इसी
बिन्दु पर विचारणी रखा राया था कि-तु अत
बैठक के इस प्रथम बिन्दु पर दी मानकीय पार्टियों
में आपकी सहमति नहीं बन पाये रहे बैठक स्पष्टित
करी पड़ी थी, इससे जारी हुई कि स्पीड ब्रॉडबैट क्य
करें के बिन्दु पर बोर्ड में एक बार चर्चा होड़र
रह गई एक विवाद के कारण सहमति नहीं बन पाये
पर अब भी उम्मीद उन्नित रोशा कि उक्त बिन्दु
पर पुनः बोर्ड में विचार कर फिरीय लिया जावें
पूछि उक्त स्पीड ब्रॉडबैट क्य करना बर्तभान रिप्रति भी
आवश्यक नहीं है एवं इससे अभियान में विनियोग
लेकर कार्यकारी बहुत भी आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

अतः इस बिन्दु पर सभी सम्मानित पार्टियों
के विचार किए बाद बोर्ड बैठक में विनियोग
जामा कराये। 15/11/21



(हरिनारायण शर्मा)
अध्यक्ष
मगरसालिका, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

क्रमांक: नपाश्रीमा / 2021-22 / २७२३

दिनांक: १५/११/२०२१

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 15.11.2021 को दोपहर 1.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 10 (दस) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। नियत समय पर बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा लिखित मे एम्पावर्ड समिति मे रखे जाने वाले प्रकरणों के संबंध मे एम्पावर्ड समिति की कार्यवाही विवरण में स्वय का लिखित मत अकिंत करने हेतु पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त एम्पावर्ड समिति में अपनी उपस्थिति पत्र हस्ताक्षर करने से मना करते हुए एम्पावर्ड समिति की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व ही बैठक छोड़कर नगर पालिका श्रीमाधोपुर कार्यालय से चले गये। जिसके उपरान्त एम्पावर्ड समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

- | | | | |
|--|------------------|------------------------|------------|
| 1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (हरिनारायण) | (अध्यक्ष) | अनुपस्थित। |
| 2. श्रीमान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रजत जैन) | (सदस्य सचिव) | उपस्थित। |
| 3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर (मो. अजहर जाटू) | (सदस्य) | | उपस्थित। |
| 4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (लोकेश निठारवाल) | (सदस्य) | उपस्थित। |
| 5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रक्षपाल स्वामी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |
| 6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (निश्चल बनर्जी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |

KJW
1

अध्यक्ष महोदय के उक्त एम्पावर्ड कमेटी पर अपनी उपस्थित पत्र पर हस्ताक्षर पर मना करने एवं एम्पावर्ड कमेटी की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व ही बैठक छोड़कर नगर पालिका श्रीमाधोपुर कार्यालय से चले जाने पर अनुपस्थित रहने के कारण नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.8(ग) () नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के नोट विन्दु संख्या 03 में दिये गये आदेशों की पालना मे उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर उक्त समिति की अध्यक्षता श्रीमान अधिशासी अधिकारी के द्वारा करते हुये श्रीमान अधिशासी अधिकारी की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :—

1. नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर कय एवं स्थापित किये जाने पर विचार/निर्णय :—

उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका श्रीमाधोपुर का उक्त प्रकरण/एजेण्डा संख्या 01 मे एम्पावर्ड समिति कार्यवाही विवरण में लिखित मत यह है कि आप द्वारा आयोजित की जाने वाली एम्पावर्ड कमेटी बैठक (प्रशासन शहरो के संग-2021) दिनांक 15.11.2021 के सन्दर्भ में लेख है कि बैठक एजेण्डा विन्दु 01 स्पीड ब्रेकर कय करने वास्ते विचार के विन्दु पर नगरपालिका श्रीमाधोपुर की दिनांक 10.08.2021 को आयोजित बोर्ड बैठक मे इसी विन्दु पर विचारार्थ रखा गया था किन्तु उक्त बैठक में इस प्रथम विन्दु पर ही माननीय पार्षदों मे आपसी सहमति नहीं बन पाने से

बैठक स्थगित करनी पड़ी थी, इससे जाहीर है कि स्पीड ब्रेकर क्य करने के बिन्दु पर बोर्ड में एक बार चर्चा होकर रह गई एवं जावे चूकि उक्त स्पीड ब्रेकर क्य करना वर्तमान स्थिति में आवश्यक भी नहीं है एवं इससे अभियान में ही निर्णय लेकर कार्यावाही जाना चाहिये। इससे उपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर माननीय पार्षदों के द्वारा नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र वाहनों की अत्यधिक स्पीड से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु दुर्घटना संभावित रास्तों/सड़कों में स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की गई। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र में वाहनों की अत्यधिक स्पीड से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु दुर्घटना संभावित रास्तों/सड़कों में स्पीड ब्रेकर क्रय किये जाने पर 4.90 लाख रुपये का व्यय होना अनुमानित है।

अतः उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

राज. जयपुर के पत्राक प.8(ग) () नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दु संख्या 03 के आदेशों की पालना में उक्त एजेंडे पर अध्यक्ष महोदय की असहमति मानते हुये एम्पावर्ड समिति के शेष सदस्यों द्वारा नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र में वाहनों की अत्यधिक स्पीड से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु दुर्घटना संभावित रास्तों/सड़कों में स्पीड ब्रेकर क्रय किये जाने पर 4.90 लाख रुपये का व्यय होना अनुमानित है प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय बाद विचार विमर्श बहुमत से लिया गया।

X
K
J

S

MZ

S

EM

2. श्री अनिल कुमार चौधरी पुत्र श्री आत्माराम चौधरी, श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये आवेदक श्री अनिल कुमार चौधरी पुत्र श्री आत्माराम चौधरी, श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 01.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मार्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है, आवेदित भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नं. 557 गैरमुमकिन आबादी में दर्ज है, आवेदित भूमि अकृषि भूमि है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 31.12.2018 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड

का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 519.65 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपरिथित द्वारा आवेदक श्री अनिल कुमार चौधरी पुत्र श्री आत्माराम चौधरी, श्रीमती सीमा चौधरी पत्नी श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 (क) नियमन के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 519.65 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. श्री मेहराजुदीन पुत्र श्री बुन्दु खें एवं श्रीमती पीरोजा बानो पत्नी श्री मेहराजुदीन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :- :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री मेहराजुदीन पुत्र श्री बुन्दु खें एवं श्रीमती पीरोजा बानो पत्नी श्री मेहराजुदीन द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 12.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 36 प्रतिशत निर्माण अवस्था है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 28.84 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपरिथित द्वारा आवेदक श्री मेहराजुदीन पुत्र श्री बुन्दु खें एवं श्रीमती पीरोजा बानो पत्नी श्री मेहराजुदीन से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 28.84 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4. श्री शिम्बुदयाल सैन पुत्र श्री मालचन्द (मालीराम) द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री शिम्बुदयाल सैन पुत्र श्री मालचन्द (मालीराम) द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 29.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्था है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का

कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 51.94 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपरिथिति द्वारा आवेदक श्री शिम्बुदयाल सैन पुत्र श्री मालचन्द (मालीराम) से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 51.94 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. श्री रियाजुदीन कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खौं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :— उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री रियाजुदीन कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खौं द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 12.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 38 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान—2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 37.62 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपरिथिति द्वारा आवेदक श्री रियाजुदीन कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खौं से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 37.62 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

6. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धन्नाराम खटीक द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार / निर्णय :— उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धन्नाराम खटीक द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान—2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है।

हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 53.63 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपरिथित द्वारा आवेदक श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री धन्नाराम खटीक से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 53.63 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7. श्री निजाम कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खाँ एवं श्रीमती सायरा बानो पत्नी श्री निजात कुरैशी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार/निर्णय :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री निजाम कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खाँ एवं श्रीमती सायरा बानो पत्नी श्री निजाम कुरैशी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 02.10.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 90 प्रतिशत निर्माण अवरित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 41.74 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

KJW
BR

OM

JW
LWW

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपरिथित द्वारा आवेदक श्री निजाम कुरैशी पुत्र श्री बुन्दु खाँ एवं श्रीमती सायरा बानो पत्नी श्री निजाम कुरैशी से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 41.74 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

8. श्री अयूब कुरैशी पुत्र श्री बाबू खाँ कुरैशी द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार/निर्णय :- उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री अयूब कुरैशी पुत्र श्री बाबू खाँ द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 09.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर निर्धारित अवधि में/ नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 38 प्रतिशत निर्माण अवरित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से

पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 151.44 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपरिथित द्वारा आवेदक श्री अयूब कुरेशी पुत्र श्री बाबू खाँ से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 151.44 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

9. **श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री चान्द बिहारी कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा जारी किये जाने पर विचार /निर्णय :-** अ उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री चान्द बिहारी कुमावत द्वारा स्वयं के स्वामित्व के आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत आवासीय पट्टा हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 14.09.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार आपत्ति आमंत्रण सूचना 01 राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.09.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड पर 95 प्रतिशत निर्माण अवस्थित है। आवेदित भूखण्ड प्रतिबन्धित क्षेत्र में नहीं है। उक्त आवेदित भूखण्ड मास्टर प्लान-2031 में आवासीय आरक्षित है। भूमि शाखा प्रभारी एवं वरिष्ठ लिपिक नगर पालिका श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर स्वामित्व सिद्ध हो रहा है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक का आवेदित भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 01.01.1990 से पूर्व का कब्जा भी सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आवेदक को आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 127.36 वर्गमीटर का दिये जाने योग्य है।

अतः बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड समिति के उपरिथित द्वारा आवेदक श्रीमती सरोज देवी पत्नी स्व. श्री चान्द बिहारी कुमावत से नियमानुसार शुल्क जमा लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अन्तर्गत आवासीय पट्टा क्षेत्रफल 127.36 वर्गमीटर जारी किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

10. **शहरो के संग अभियान-2021 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :-** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के प्रचार-प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 से सम्बन्धित होर्डिंग लगावाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर-घर पम्पलेट बटवाये जा रहे हैं। शहर के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से 02 अक्टूबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पों की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पों की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टों, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप-विभाजन, पुनर्गठन, ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 45 पत्रावली प्राप्त हो चुकी हैं। जिन पर त्वरित गति से निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी के उपरिथिति द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगों से पट्टों के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(रजत जैन)
अधिकारी प्रशासनिक
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(मो. अजहर जाट)
उप /
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(रक्षपाल स्वामी)
विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

Lokesh Nithiwala
(लोकेश निठारवाल)
कमिट्टी अभियन्ता
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(निश्चल बनर्जी)
लेखा प्रभारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर